


1204

पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र
के तहत पेश हुई। बकु. उप. प्रार्थी की
ओर शशोक कुमार लखौ. उप. प्रार्थी
का दावा विशेष/खारिज किया जा
सुका है। अब इस प्रार्थना-पत्र 212
RTA का कोई शौचित्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र श-नर्तन
द्वारा 212 RTA के तहत खारिज
किया जाता है।

पत्रावली प्रथम कुमार द्वारा
सम्बन्ध से काम की जाति  खिल
दस्तावेज है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)